कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 0809019

पंत्र सख्या-विधि-1(3)-ईट भट्ठा समा0यो0-(2007-08)/ 171 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 15 मई , 2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय : वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 7-घ के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ठो में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के संबन्ध में।

शासन के पत्र संख्या क0नि0-2-1331/ग्यारह-2008-9(47)/08 दिनांक 5-5-2008 द्वारा उपरोक्त विषयक ईट भट्ठा सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-10-2007 से दिनांक 31-12-2007 तक की अवधि के लिए, प्राप्त निर्देशो / शर्तो की प्रति संलग्न की जा रही है। शासन के निर्देश के अनुसार कुछ प्रमुख तथ्य एवं शर्ते निम्नवत् है :-

1- यह समाधान योजना वर्ष 2007-08 की दिनांक 01-10-2007 से 31-12-2007 तक की **केवल तीन माह** की अवधि के लिए है।

2- समाधान योजना का लाभ उन्ही ईट निर्माताओं को उपलब्ध होगा जो **इस परिपत्र के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर** विकल्प प्रार्थना-पत्र, निर्धारित समाधान राशि जमा करने के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा कर देगें। विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेगी।

3- गत सीजन वर्ष 2006-07 (दिनांक 01-10-2006 से 30-9-2007 तक) में विभिन्न पायों के लिए निर्धारित की गयी समाधान राशि में 13 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उक्त तीन माह के लिए समानुपातिक आधार पर समाधान राशियाँ आगणित की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में :-

(1) सामान्य प्रकार के नान-हाई ड्राट भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि की तुलना में **10 प्रतिशत बढ़ाकर हाई ड्राट भट्ठों हेतु** समाधान राशि है।

(2) **28 पाये या उससे अधिक पाये के नान-हाई ड्राट भट्ठों** के लिए निर्धारित समाधान राशि के अतिरिक्त इस राशि के **10 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य विकास कर** के रूप में अतिरिक्त रूप से देय होगी।

(3) **27 पाये या उससे अधिक पाये के हाई ड्राट भट्ठों के लिए** समाधान राशि में राज्य विकास कर के रूप में इस राशि का **10 प्रतिशत राज्य विकास कर** के रूप में अतिरिक्त रूप से देय होगा।

(4) कोयले की खरीद पर **देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में** समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि का **10 प्रतिशत अतिरिक्त होगी** तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिए तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोयले पर समाधान में विकास कर देय नही होगा।

(5) शासन के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-10-07 से 31-12-07 (केवल तीन माह के लिए) तक की अवधि के लिए निम्न तालिका के अनुसार पायेवार समाधान शुल्क आगणित की जाती है :-

पायों की संख्या	व्यापार कर समाधान शुल्क (रुपये में)		व्यापार कर तथा विकास कर समाधान शुल्क (रुपये में)		प्रवेश कर समाधान शुल्क (रुपये में)	
	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
15	22,741	25,015	-----	----	2,274	2,502
16	27,393	30,132	-----	-----	2,739	3,013
17	32,561	35,817	-----	-----	3,256	3,582
18	38,246	42,071	-----	-----	3,825	4,207
19	44,965	49,462	-----	-----	4,497	4,946
20	51,684	56,852	-----	-----	5,168	5,685
21	58,920	64,812	-----	-----	5,892	6,481
22	67,189	73,908	-----	-----	6,719	7,391
23	77,009	84,710	-----	-----	7,701	8,471
24	87,346	96,081	-----	-----	8,735	9,608
25	98,200	1,08,020	-----	-----	9,820	10,802
26	1,10,087	1,21,096	-----	-----	11,009	12,110
27	1,22,491	1,34,740	-----	1,48,214	12,249	13,474
28	1,34,895	1,48,385	1,48,385	1,63,224	13,490	14,839
29	1,47,300	1,62,030	1,62,030	1,78,233	14,730	16,203
30	1,59,703	1,75,673	1,75,673	1,93,246	15,970	17,567
31	1,72,108	1,89,319	1,89,319	2,08,251	17,211	18,932
32	1,84,512	2,02,963	2,02,963	2,23,259	18,451	20,296
33	1,96,916	2,16,608	2,16,608	2,38,269	19,692	21,661
34	2,09,320	2,30,252	2,30,252	2,53,277	20,932	23,025
35	2,22,241	2,44,465	2,44,465	2,68,912	22,224	24,447
36	2,35,162	2,58,678	2,58,678	2,84,546	23,516	25,868
37	2,48,083	2,72,891	2,72,891	3,00,180	24,808	27,289
38	2,61,004	2,87,104	2,87,104	3,15,814	26,100	28,710
39	2,73,925	3,01,318	3,01,318	3,31,450	27,393	30,132

40	2,86,846	3,15,531	3,15,531	3,47,084	28,685	31,553
41	2,99,767	3,29,744	3,29,744	3,62,718	29,977	32,974
42	3,12,688	3,43,957	3,43,957	3,78,353	31,269	34,396
43	3,25,609	3,58,170	3,58,170	3,93,987	32,561	35,817
44	3,38,530	3,72,383	3,72,383	4,09,621	33,853	37,238
45	3,51,451	3,86,596	3,86,596	4,25,251	35,145	38,660
46	3,64,372	4,00,809	4,00,809	4,40,890	36,437	40,081
47	3,77,293	4,15,022	4,15,022	4,56,524	37,729	41,502

4- भट्ठा समाधान अपनाने की दशा में उक्त अवधि में **धारा 4 ख की कोई सुविधा अनुमन्य न होगी** तथा इस योजना मे भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर **धारा 4क, धारा 4कक या व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नही होगी।**

5- अन्य संदर्भों में शर्ते सीजन-2005-06 की अन्य शर्तो के इस अवधि की शासन द्वारा जारी निर्देशों में वर्णित शर्तो के समनुरुपन के अनुगत होगें।

6- केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी, जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत न हुआ हो , ही इस योजना के पात्र हो सकेंगे।

7- समाधान योजना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र /अनुबन्ध-पत्र का प्रारुप संलग्न किया जा रहा है।

8- समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्ठों तथा समाधान योजना न अपनाने वाले भट्ठों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारुप -1 व 2 में सूचना सम्बन्धित सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा मुख्यालय को दिनांक 31-5-2008 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रारुप-1

समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठों से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

पायेवार भट्ठों की संख्या		देय व्यापार कर समाधान राशि	देय विकास कर राशि	देय प्रवेश कर समाधान राशि	कुल देय समाधान राशि	जमा समाधान राशि	विशेष
भट्ठों की संख्या	पायों की संख्या						
1		2	3	4	5	6	7

प्रारुप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्ठों से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

भट्ठों की कुल संख्या पायेवार		समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठों की संख्या पायेवार		समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठों के सम्बन्ध में						
				घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा व्यापार कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	स्वीकृत जमा विकास कर	अस्थायी कर - निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
भट्ठों की संख्या	पायों की संख्या	भट्ठों की संख्या	पायों की संख्या							
1		2		3	4	5	6	7	8	9

9- कृपया शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये ।

संलग्नक- 1- शासन के निर्देश ।

2- सामाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप ।

3- शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारुप ।

(दीपक कुमार)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उतर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उतर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(3) सॅयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन विभाग उतर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(4) अध्यक्ष/निबन्धक उतर प्रदेश वाणिज्य कर ,लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर,उ0प्र0

(5) विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।

(6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ,ग्रेड-1,वाणिज्य कर उतर प्रदेश ।

(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर,उतर प्रदेश ।

(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक,वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।

(9) महालेखाकार,171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।

(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।

(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर,उतर प्रदेश ।

(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।

(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।

(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद ।

(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।

(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में

(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।

(19) समस्त अनुभागअधिकारी , वाणिज्य कर ,मुख्यालय ।

(20) अध्यक्ष,उतर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।

(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।

(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उतर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उतर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।

(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुल सफा लखनऊ।

(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।

(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।

(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।

(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।

(29)आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।

(30)कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन प्लाट-ए , विभूति खण्ड ,गोमतीनगर ,लखनऊ ।

(31)राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभसदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधितज्वाइन्टकमिश्नर (कार्य0)के माध्यम

(32)प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(33)शिव कुमार अरोड़ा,एडवोकेट ,महा सचिव,उतर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली जिला मुजफ्फरनगर
(34)श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35)प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36)प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37)डा0 छेदी लाल साथी,ए-5/1579 इन्द्रा नगर,लखनऊ।
(38)श्री बी0एन0राय,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(39)श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँज गली,चौक,वाराणसी।
(40)श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उतर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41)श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(42)श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(43)आर0डी0गुप्ता,एडवोकेट ,आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(44)श्री संतोष कुमार(पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष,भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(45)श्री शैलेश मिश्रा,महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उतर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46)इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8 ,15 प्रकाश मार्केट ,लाला लाजपत राय चौक,मु0नार।
(47)संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स ,गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश आरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52)श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्रा0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(53)श्री हुलास राय सिंघल,प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
(54)श्रीअरुणकुमार अवस्थी ,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास,दारुल शफा,लखनऊ
(55) माननीय अध्यक्ष,वाणिज्य कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,डा0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष , आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ-26010 फोन नं0 2720097
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस।
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट एसोसिऐशन , 67 / 116 सेवा समिति भवन कैनाल रोड,कानपुर।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता एडवोकेट, अध्यक्ष, उ0प्र0 टैक्सबार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल 22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी, इलाहाबाद।
(64) श्री मनोज कृष्ण गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाष नगर, गली नं0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बंदायू, यू0पी0।
(65) श्री मनीष शर्मा ला एड्ड मैनेजमेन्ट हाउस आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन , आर0डी0सी0- 51 राजनगर, गाजियाबाद।

(अशफ़ाक अहमद)
डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।

वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 7-घ के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटों , ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा 7-घ के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश में प्रदेश में ईंटों के निर्माताओं से उनके द्वारा वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-10-2007 से दिनांक 31-12-2007 तक की अवधि में निर्मित ईंटों, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती है:-

(अ) दिनांक 01-10-2007 से 31-12-2007 गत हेतु सीजन वर्ष 2006-07 (दिनांक 01-10- 2006 से 30-09-2007 तक) में विभिन्न पायों के लिये निर्धारित की गई समाधान राशि में 13 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगणित धनराशि के आधार पर उक्त तीन माहों के लिए समानुपातिक आधार पर समाधान राशि (उक्त आगणित धनराशि का 25 प्रतिशत) निर्धारित की जाय।

(ब) सामान्य प्रकार के नान-हाई ड्राट भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि की तुलना में हाई ड्राट भट्ठों हेतु समाधान राशि 10 प्रतिशत बढ़ा कर निर्धारित की जाय।

(स) 28 पायें या उससे अधिक पायें के नाल-हाई ड्राट भट्ठों के लिए निर्धारित समाधान राशि के अतिरिक्त इस राशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य विकास कर के रुप में अतिरिक्त रुप से देय होगा।

(द) 27 पायें या उससे अधिक पाये के हाई ड्राट भट्ठों के लिए समाधान राशि में राज्य विकास कर के रुप में इस राशि का 10 प्रतिशत विकास कर के रुप में अतिरिक्त रुप से देय होगा।

(य) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान योजना अपनाने के लिए तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोयले पर समाधान में विकास कर देय नहीं होगा।

(र) समाधान योजना का लाभ उन्हीं ईट निमार्ताओं को उपलब्ध होगा जो योजना के निर्देश कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 10 दिन के अन्दर विकल्प प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा करने का प्रमाण पत्र

के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा करेंगे। विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी।

शर्तें

(1) जिन फर्मो में एक या अधिक भट्ठों के साथ-साथ अन्य क्रय -विक्रय के कार्य भी होते हो उनमें भट्ठों के लिए करयोग्य टर्नओवर उक्त प्रस्तर के अनुसार आगणित करते हुए उसके साथ अन्य करयोग्य टर्नओवर जोड़ा जायेगा और उसके रु0 50 लाख के बराबर या अधिक होने पर भट्ठों के लिए मूल्य समाधान राशि के साथ-साथ उसके 1/10 के बराबर विकास कर हेतु समाधान राशि भी देनी होगी।

(2) यदि कोई व्यापारी जिस भट्ठें के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनते है उससे भिन्न भट्ठें पर निर्मित किसी माल की बिक्री करते है या अन्य प्रकार के क्रय-विक्रय के कार्य भी करते हैं तो अन्य प्रकार के क्रय-विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नहीं होगा।

(3) यदि किसी नये क्रय-विक्रय के शुरु होने के कारण विकास कर देयता सृजित होती है तो विकास कर के कारण बढ़ी हुई समाधान राशि विकल्प प्रार्थना पत्र के साथ ही जमा करनी होगी।

(4) भट्ठा समाधान योजना अपनाने की दशा में उक्त अवधि में धारा-4 ख की कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(5) यदि किसी ईट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्षो में समाधान योजना अपनायी गयी थी परन्तु समाधान राशि की सभी किश्तें जमा नहीं की गयी है तो उक्त बकाया समाधान राशि जमा करने के प्रमाण पत्र के साथ ही इस अवधि के लिए समाधान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा। अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(6) अन्य संदर्भो में शर्त सीजन वर्ष 2005 -2006 की अन्य शर्तो के इस अवधि की ऊपर वर्णित शर्तो के समनुरुपन के अनुगत होगी।

(7) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नहीं हुआ हो या न हो ऐसे व्यापारी ही इस योजना के पात्र हो सकेंगे।

8) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर धारा -4क, धारा 4कक या व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय,

ह0/-

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव

प्रारुप- 1

वर्ष 2007-2008 में दिनांक 1-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-7घ के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र

सेवा में,

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड------------------

मंडल / उपमंडल

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री -- जिसका मुख्यालय ------------ पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम - 1948 की धारा-8क में -------------- कार्यालय ------------------ द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या----------------- दिनांक ------------- से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड -------------- मंडल / उपमंडल -------------- के कार्यालय में दिनांक ------------ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार ------------- हूँ। मैंने ईट निर्माताओं द्वारा अपने भट्ठे में निर्मित ईटों, ईटों भट्ठों मे निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 1-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर तथा उक्त ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-7डी में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है। शासन के इन निर्देशों की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ईट के रोड़ों तथा राबिस की वर्ष 2007-2008 में दिनांक 1-10-2007 से 31-12-2007 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम - 1948 की धारा -7डी के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार रुपया-----------------स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। इस धनराशि में व्यापार कर समाधान शुल्क रुपया--------------------/ राज्य विकास कर युक्त

व्यापार कर समाधान शुल्क रुपया-----------------/ कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क रुपया---------------- सम्मिलित है। यह धनराशि मैंने चालान संख्या ------------- दिनांक -------- द्वारा ---------------- (बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है , जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

दिनांक 1-10-2007 को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था :-

क्रम संख्या	**मद**	**संख्या / मात्रा**	**स्थान जहाँ स्टाक है**
1-	पक्की ईंटें		
2-	ईंटों के रोड़े		
3-	भट्ठे में निर्मित टाइल्स		
4-	राबिस		
5-	कोयला		
6-	लकड़ी		
7-	बालू		
8-	लकड़ी का बुरादा		

दिनांक ----------------------

हस्ताक्षर -------------------

पूरा पता --------------------

प्रास्थिति --------------------

फर्म का नाम व पता ----------------------

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ। यह फर्म ----------------- के स्वामी / साझीदार -------------------- है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर -------------

पूरा नाम -------------------------------------

पूरा पता -------------------------------------

प्रारुप -2

शपथ पत्र

समक्ष असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
खण्ड ---------------------------------
मंडल / उपमंडल ----------------------------

मैं ------------------------ पुत्र श्री ---------------------- आयु लगभग --------वर्ष स्थायी निवासी -------------------- (पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि ::

1- मैं, फर्म सर्वश्री ------------------------ जिसका मुख्यालय ------------------------- (पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ------------------- (प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं :-

क्रम संख्या	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है।	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
1-	मुख्यालय		
2-	शाखाएं (अ) (ब) (स) : :		

3- वर्ष 2007-2008 में दिनांक 1-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-7घ के अन्तर्गत ईट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय व्यापार कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान येाजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश,शर्तें तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियो को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईंट के निम्नलिखित भट्ठे सीजन वर्ष 2007-2008 में 1-10-2007 से 31-12-2007 की अवधि में रहे हैं।

भट्ठों की संख्या	भट्ठे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट / हाईड्राट)	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थानों पर फुकाई होती है।	पायों की संख्या के आधार पर प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित एकमुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि		
1	2	3	4	5	6		
					व्यापार कर समाधान शुल्क	व्यापार कर एवं राज्य विकास कर समाधान शुल्क	कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क

कुल योग :------------------------

5- प्रस्तर-(4) में अंकित भट्ठों तथा इसी तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि का कुल योग रुपया- ---------------- होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा देय है। इस धनराशि का चालान, व समाधान प्रार्थना पत्र , इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- यदि वर्ष 2007-2008 में दिनांक 1-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि हेतु मेरा धारा-7घ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुलग्नक प्रारुप- 1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर ---------------------------------

पूरा पता ---------------------------------

प्रास्थिति ---------------------------------

फर्म का नाम व पता ---------------------

घोषणा

मैं --- उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ-पत्र / अनुबन्ध के प्रस्तर (1) से (6) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर ------------------------------------

पूरा पता ----------------------------------

प्रास्थिति -----------------------------------

फर्म का नाम व पता -------------------------

साक्षी के हस्ताक्षर ---------------------------

नाम एवं पता ---------------------------

तिथि एवं स्थान ---------------------------